कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

पत्र संख्या–19फ / टी0सी0 / 11 / उप0 / नियुक्ति / 2022 / लखनऊः दिनांक 20/11/23

–: आदेश :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या–39 / 01 / ई–5 / 2022–23, दिनांक– 02.08.2023 के द्वारा विज्ञापन संख्या–ए–1 / ई–1 / 2022, दिनांक–21.01.2022 के कम में स्टाफ नर्स (पुरूष) परीक्षा 2017 पुर्नविज्ञापन 2022 के अर्न्तगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कुल 403 रिक्तियों के सापेक्ष 163 अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए 123 अभ्यर्थियों का औपबन्धन समाप्त करते हुए उनकी संस्तुति महानिदेशालय को उपलब्ध करायी गयी थी जिसके अनुसार नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है। पुनः मा0 लोक सेवा आयोग से 19 अभ्यर्थियो की संस्तुति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली 2016 के नियमों व प्राविधानों के क्रम में संलग्न सूची में क्रमांक–01 से 19 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका (पुरूष) के पद पर (समूह–''ख'') वेतनमान रूपया–9300–34800 / – ग्रेड वेतन रूपया–4600 / – एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रूपया– 44900–142400 (लेबल–7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या–12 में अंकित चिकित्सालय / जनपद में की जाती है:–

1. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में इस अवधि को बढाया जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधिन अभ्यर्थी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है अथवा उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नही है, तो नियुक्त अभ्यर्थी की नियमानुसार सेवायें समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति संबंधित अधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं तकनीकी अंक तालिकाओं, प्रमाण पत्रों आरक्षित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र आदि के उचित माध्यमों से सत्यापित कराये जाने की शर्त के साथ की जाती है, कि यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा सत्यापन कराने पर आरक्षण का दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी पूर्व नोटिस के नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. यह संवर्ग प्रदेश स्तरीय संवर्ग है अतः जनहित में प्रदेश के किसी भी जनपद / चिकित्सालय में शासकीय हित में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. स्बंधित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय समय पर निर्गत शासनदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी नियमानुसार देय होगें।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
7. यह नियुक्ति राज्य कर्मचारियों से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के यथासमय नियमों / उपबन्धों के अधीन की जाती है।
8. संबंधित अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान के जनपद के कालम–12 में अंकित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका) के सम्मुख उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगी और उसका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
9. संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा यथा स्थिति योगदान कराते समय रूपयें 100 / – के स्टैम्प पेपर पर संबंधित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनसे सबंधित कोई वाद चयन के संबंध में लम्बित नही है।
10. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ उनकी स्व प्रमाणित दो प्रतियॉं नियुक्ति के स्थान पर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जो मूल प्रतियॉं अभ्यर्थी को सत्यापन के उपरान्त वापस कर दी जायें:–
    - (क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक स्वास्थता के संबंध में प्रदत्त प्रमाण पत्र।
    - (ख) हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र।
    - (ग) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(घ) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(ड) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सरकारी सेवा में हो और उनके निजी जीवन में पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हो, से चरित्र का प्रमाण पत्र।

(च) संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्व कोई अभियोजन लम्बित/विचाराधीन होने या न होने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र।

(छ) ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।

(ज) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं प्रतिज्ञा का शपथ पत्र/प्रतिज्ञा।

(झ) चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में घोषणा पत्र।

(ञ) विवाहित होने की दशा में एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न होने का प्रमाण पत्र व विवाहित अभ्यर्थी निम्न प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगें/करेंगी:–

मै..................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री................................. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्री/कु0.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..................व्यवसाय...................(यदि व्यवसाय नौकरी में है तो सेवायोजन का नाम व पूर्ण पता/यदि नही तो पूर्ण विवरण तथा कार्यस्थल का पूर्ण पोस्टल पता(डाक पता) भी अंकित किया जाय) के साथ दिनांक ....को रीति रिवाज के साथ हुआ था और उक्त व्यक्ति के साथ विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती..................है।

मै शपथ पूर्व यह घोषणा करती/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी के अतिरिक्त कोई अन्य जीवित पति/पत्नी नही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता:–

....

....

(ट) हिन्दी व अग्रेंजी में नमूने के दो हस्ताक्षर

(ठ) मूल स्थाई निवास से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

(ड) आरक्षित श्रेणी/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित से संबंधित प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक

पत्र संख्या–19फ/टी0सी0/11/उप0/नियुक्ति/2022/3915–22 तद्‌दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज
2. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–8
4. संबंधित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय उ0प्र0/मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर उन पर अंकन करे कि मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया गया अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विशेष पत्र वाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह मे पूर्ण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

7. संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व समस्त प्रमाण पत्रों की दो–दो प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करने के संबंध संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें। नियुक्ति पत्र विभागीय बेब साइट–http://dgmhup.gov.in से अपलोड कर तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

8 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, संबंधित जनपद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ साथ संबंधित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

20/11/23

निदेशक(नर्सिंग)

मा0 लोक सेवा आयोग से 163 चयनित उपचारिका (पुरूष) मे से 19 अभ्यर्थियों का औपबन्धन समाप्त करने के उपरान्त प्राप्त संस्तुति का विवरण।

कमांक	चयन क्रमांक	रजिस्ट्रेशन न0	रोल न0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	पत्र–व्यवहार का पता	गृह जनपद	श्रेणी	प्रस्तावित तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	17	71120123304	108104	रोहित के शर्मा	श्री कृष्णा कुमार शर्मा	25.06.1994	ग्राम–ब्रिथला, तहसील–खैरागढ़, थाना–इरादत नगर, जिला–आगरा, उ0प्र0–282001।	मकान सं0–453, वार्ड नं0–57, बजरंग कालोनी के सामने मिडवे होटल, धौलपुर, राजस्थान–328001	आगरा	GEN	जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर
2	26	71110055332	104633	गगन कुमार बंसल	श्री कृष्णा कुमार बंसल	13.05.1994	ग्राम व पोस्ट–ए0ओ0यू0, तहसील–डीग, जिला–भरतपुर, 121, ए0यू0 बालोथा मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान–321203	ग्राम व पोस्ट–ए0ओ0यू0, तहसील–डीग, जिला–भरतपुर, 121, ए0यू0 बालोथा मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान–321203	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
3	36	71110032207	117084	रवि कान्त योगी	श्री राजेन्द्र प्रसाद योगी	14.07.1993	बरेदा भेरू जी का मोहल्ला, झालावाड़, राजस्थान–326035	बरेदा भेरू जी का मोहल्ला, झालावाड़, राजस्थान–326035	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
4	38	71110051239	110869	मोहम्मद मलिक	श्री मोइनुद्दीन खान	15.12.1993	बिहाइन्ड ओल्ड सिनेमा, मकान संख्या–51, बदियों मोहल्ला, दौसा, राजस्थान–303303	बिहाइन्ड ओल्ड सिनेमा, मकान संख्या–51, बदियों मोहल्ला, दौसा, राजस्थान	राजस्थान	GEN	मानसिक चिकित्सालय वाराणसी
5	39	71100158658	105778	अजय पाल सिंह	श्री रक्षीपाल सिंह	27.12.1993	266 छोटी गुमटी वाली, जी0टी0 रोड, मानिया धौलपुर, राजस्थान–328024	266 छोटी गुमटी वाली, जी0टी0 रोड, मानिया धौलपुर, राजस्थान–328024	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
6	45	71100041941	101373	गौरव सिंह	श्री जगवीर सिंह	28.06.1994	8ए, पुष्प वाटिका कालोनी, भरतपुर, राजस्थान–321001	8ए, पुष्प वाटिका कालोनी, भरतपुर, राजस्थान–321001	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
7	48	71100121699	103004	सचिन कुमार शर्मा	श्री राजेन्द्र प्रसाद	27.07.1995	ग्राम व पोस्ट–अटारी, 0, 00, भरतपुर, राजस्थान–321028	ग्राम व पोस्ट–अटारी, 0, 00, भरतपुर, राजस्थान–321028	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
8	53	71100172329	100594	ढालेन्द्र कुमार	श्री नादरिया	17.08.1991	358 धनू पाड़ा, बसई नवाब, तहसील–सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान–328023	358 धनू पाड़ा, बसई नवाब, तहसील–सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान–328023	राजस्थान	GEN	जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर
9	58	71100012019	107931	कमलेश कुमार	श्री जुगल किशोर	25.06.1993	सोलायां, मारोठ, नागौर, राजस्थान–341507	सोलायां, मारोठ, नागौर, राजस्थान–341507	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (जानकीपुरम् ट्रामा सेन्टर)
10	63	71100031388	105173	फारूख	श्री शेर मोहम्मद	12.02.1993	खाकी दरवाजा, पीसागंन, अजमेर, राजस्थान–305204	खाकी दरवाजा, पीसागंन, अजमेर, राजस्थान–305204	राजस्थान	GEN	जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर
11	69	71100070165	109386	राहुल	श्री वीरेन्द्र कुमार	20.09.1990	27–सी, डी0डी0ए0 फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032	27–सी, डी0डी0ए0 फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032	दिल्ली	GEN	मुख्य कित्सा अधिकारी, लखनऊ (जानकीपुरम् ट्रामा सेन्टर)
12	89	71100128611	102246	राजन कुमार	श्री महेन्द्र सिंह	15.03.1994	719 मांगरौल, शिवाजी मार्केट, धौलपुर, राजस्थान–328024	719 मांगरौल, शिवाजी मार्केट, धौलपुर, राजस्थान–328024	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (जानकीपुरम् ट्रामा सेन्टर)
13	118	71100129647	108180	विभोर ओझा	श्री उमेश चन्द्र ओझा	07.08.1994	बास अमरू, थाना–सादाबाद, हाथरस, उ0प्र0–281306	सी–37 पुलिस फायर स्टेशन, रकाबगंज, आगरा, उ0प्र0–282001	हाथरस	GEN	जिला चिकित्सालय, आगरा
14	127	71100014026	105435	बंशी लाल	श्री छोगा राम	07.06.1990	जातियो का वास, वी0पी0, वीरावा, तहसील–चितलवाना, जालौर, राजस्थान–343041	जातियो का वास, वी0पी0, वीरावा, तहसील–चितलवाना, जालौर, राजस्थान–343041	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (जानकीपुरम् ट्रामा सेन्टर)
15	129	71100146529	100418	अखिलेश कुमार डीगवाल	कृष्ण लाल डीगवाल	30.10.1990	ए 62, श्याम मित्रा मंडल नगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान–302039	ए 62, श्याम मित्रा मंडल नगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान–302039	राजस्थान	GEN	मुख्य चिकित्सा अधिकरी, गौतमबुद्वनगर।
16	134	71100088492	115986	प्रवीण कुमार रैगर	श्री प्रकाश चन्द्र रैगर	07.11.1992	बरोनी, टोंक, राजस्थान–304021	बरोनी, टोंक, राजस्थान–304021	राजस्थान	GEN	मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी

मा0 लोक सेवा आयोग से 163 चयनित उपचारिका (पुरूष) मे से 19 अभ्यर्थियों का औपबन्धन समाप्त करने के उपरान्त प्राप्त संस्तुति का विवरण।

कमांक	चयन क्रमांक	रजिस्ट्रेशन न0	रोल न0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	पत्र–व्यवहार का पता	गृह जनपद	श्रेणी	प्रस्तावित तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
17	152	71100065048	109751	कैलाश चन्द्र	श्री नन्द किशोर	01.07.1993	पटोदा, वार्ड नं0–06, सीकर, राजस्थान–332312	पटोदा, वार्ड नं0–06, सीकर, राजस्थान–332312	राजस्थान	GEN	मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी
18	96	71110026136	101461	सुरेश राय	श्री कृष्णा राय	01.04.1988	ए 24, सी0एस0–498, गुरू नानक गली, मन्डावली, दिल्ली–110092	बी 199 आम्रपाली लीशर वैली विलास, नोएडा एक्सटेंशन, गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0–201306	दिल्ली	GEN	जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्वनगर।
19	57	71100019279	111412	हरिओम गंगवार	श्री किशन स्वरूप गंगवार	04.06.1993	ग्राम व पोस्ट–खण्डिया, रामपुर, उ0प्र0–244921	ग्राम व पोस्ट–खण्डिया, रामपुर, उ0प्र0–244921	रामपुर	OBC	मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी